फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

बनाम श्रीमती बड़ामी बाई बनाम श्रीमती गंगा

किस्म मुकद्दमा 53 R.T.Act नं. 37/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/5/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट R.C.Khera पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि ..... श्रीमती बड़ामी बाई नाथूलाल मीणा एवं श्रीमती गंगा w/o नारायण ने आपसी सहमति से बटवारा पेश किया गया।	

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा सेवलपुरा

बड़ामी / नाथू मीणा

50/1	0.36	4.66
461/1	0.34	2.38
2	0.70	7.06

गंगा / नारायण मीणा

50 मि.	0.37	4.81
461 मि.	0.33	2.31
2	0.70	7.12

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
RAS
जिला कलक्टर, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official